















Reform for freedom: Paving Way for Undertrial Justice

■ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 introduces groundbreaking changes to alleviate overcrowding in prisons, with a focus on justice for undertrials.

Reducing Custodial Burden

- A game-changer: First-time offenders who have never been convicted of any offence in the past, can now be released on bail after serving one-third of the prescribed maximum sentence.
- This paves the way for rehabilitation and reduction of long custodial periods.

♦ Jail Superintendent as Bail Guardian

- The responsibility of applying for bail now rests with the Jail Superintendent of the prison where the accused is lodged.
- This ensures legal rights for eligible prisoners, marking a revolutionary change in the justice system.







स्वतंत्रता के लिए सुधारः विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने का रास्ता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 विचाराधीन कैदियों के न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए,
 जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश करती है।

हिरासत का बोझ कम करना

- एक गेम-चेंजर : पहली बार के अपराधियों के लिए, जो पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी
 नहीं उहराए गए, निर्धारित अधिकतम सजा की एक तिहाई की सजा काटने के बाद जमानत पर
 रिहा कर दिए जाते हैं।
- पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना।

जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में

- अपराधी की जमानत के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी अब उस जेल के जेल अधीक्षक की
 है, जहां आरोपी बंद है।
- योग्य कैदियों के लिए कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना, न्याय प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव
 का प्रतीक है।







♦ Benefits

- A step towards ensuring timely justice and reducing the prison population.
- Relief for those accused or convicted of petty crimes, marking a transformative moment in our legal landscape.
- Allowing social reintegration and reducing chances of recidivism.







फायदा

- समय पर न्याय सुनिश्चित करने और जेलों में कैदियों की संख्या कम करने की दिशा में एक
 कदम।
- छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, कानूनी पिरदृश्य में एक पिरवर्तनकारी
 क्षण का प्रतीक है।
- समाज की मुख्य धारा में लाना और पुनरावृत्ति की संभावना को कम करना।

